

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :- 998/2024

बसराम बनाम सरकार

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी हाजिर। प्रार्थी ने अवगत करवाया कि खसरा नंबर 28, 29, 318, 319, 33, 330, 331, 332, 34, 35, 61/775, 740, 741, 746, 747, 750, 767 कुल किता 17 कुल रकबा 13.31 है० वाके ग्राम भादडवास पटवार हल्का आकोडिया तहसील चाकसू में प्रार्थी का नाम विश्राम गुर्जर पुत्र गंगाराम दर्ज है। किन्तु अन्य दस्तावेजों में बसराम गुर्जर पुत्र गंगाराम है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०टे० एक्ट बाबत् का पेश किया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि विश्राम गुर्जर पिता श्री गंगाराम गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र 136 का स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के खसरा नंबर 28, 29, 318, 319, 33, 330, 331, 332, 34, 35, 61/775, 740, 741, 746, 747, 750, 767 कुल किता 17 कुल रकबा 13.31 है० वाके ग्राम भादडवास पटवार हल्का आकोडिया तहसील चाकसू में विश्राम गुर्जर पुत्र गंगाराम के स्थान पर बसराम उर्फ विश्राम गुर्जर पुत्र गंगाराम शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। तहसीलदार चाकसू को तहरीर जारी हो।</p> <p style="text-align: right;">(21) उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	